तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गौरीशंकर मालू पुत्र श्री रामप्रसाद मालू नरायना, जिला जयपुर (राज.) पिन 303348 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 60 / 2021 जीसीएमएस नं. :– 2021 / 214 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

–: निर्णय :–

15/3/22

1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 10.06.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक / रा.लो.सू.अ. / 233 / 2021 / 373 दिनांक 04.03.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रैट पाली से संबंधित होने के कारण प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलेक्ट्रेट पाली को जरिये पत्रांक / रा.लो.सू.अ. / 233 / 2021 / 941 दिनांक 23.06.2021 के उपलब्ध करवाने हेतु लिखा जाकर प्रतिलिपी आवेदक को प्रेषित की गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) पाली ने अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट पाली से संबंधित होने से सूचना का अधिकारी अधिनियम की धारा 6(1) के तहत वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट पाली से संबंधित होने सें लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली को आवेदन पत्र का निस्तारण करना चाहिए।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली को निर्देशित किया जाता है प्रार्थी / अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे।

6. निर्णय आज दिनांक 15/3/22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(नमित मेहता)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली